

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क्र.63 ए/2015

संस्थापित दिनांक 22/06/2015

- 1 किशोर सिंह पुत्र भगवतीचरण जाटव आयु 26 वर्ष जाति जाटव
निवासी भवानीपुरा, कमले वाली गली, थाना सिटी कोतवाली
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. भारत सिंह आयु 50 वर्ष
2. राय सिंह आयु 42 वर्ष पुत्रगण बबुआ उर्फ बाबूराम जाति
जाटव निवासीगण ग्राम लहचूरे का पुरा, थाना मालनपुर,
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... असल प्रतिवादीगण

3. म.प्र. शासन द्वारा :- श्रीमान् कलेक्टर महोदय
जिला भिण्ड म.प्र.

..... तरतीबी प्रतिवादी

(वादी द्वारा अधि. श्री जी एस निगम)
(प्रतिवादीगण क्र0 1 व 2 द्वारा अधि0 श्री आर पी एस गुर्जर)
(प्रतिवादीगण क्र0 3 —एकपक्षीय)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 19.05.2017 को घोषित)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा लहचूरा परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 1181 रकवा 0.47, सर्वे क्र0 1184 रकवा 0.54 कुल रकवा 1.01 हैक्टेयर के 1/3 भाग की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा लहचूरा परगना गोहद में भूमि सर्वे क्र0 1181 रकवा 0.47 सर्वे क्र0 1184 रकवा 0.54 कुल रकवा 1.01 स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 है जिसका वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। उक्त विवादित भूमि वादी को उसके नाना बबुआ की मृत्यु उपरांत वारिस की हैसियत से प्राप्त हुई है बबुआ की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी है। मृतक बबुआ के वारिस वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 व 2 है। वादी मृतक बबुआ की पुत्री मीरा का पुत्र है। उक्त विवादित भूमि हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है जो कि बबुआ के मरने के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी को प्रथम अनुसूची का वारिस होने की हैसियत से प्राप्त हुई है। मृतक बबुआ ने अपने जीवनकाल में कोई दानपत्र वसीयत आदि नहीं की है। इसलिए उक्त भूमि पर वादी का उसकी मां मीरा की मृत्यु उपरांत जन्मजात हक है। वादी की मां मीरा की मृत्यु 10.07.1990 को हो चुकी है। उस समय वादी की उम्र डेढ़ वर्ष थी। वादी का मां श्रीमती मीरा की मृत्यु उपरांत उसके पिता भगवतीचरण ने उसका पालन-पोषण किया है। प्रतिवादी गण उससे कोई संबंध नहीं रखते थे। दिनांक 30.05.15 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि में 1/3 भाग उसके स्वत्व का होना कहा था तो प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि का 1/3 भाग देने से मना कर दिया था एवं वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण कराकर उसे विक्रय करने के लिए कहा था। प्रतिवादीगण वादी का हिस्सा समाप्त करने के उद्देश्य से अतिशीघ्रता से नामांतरण कराने की कार्यवाही कर रहे हैं और नामांतरण कराकर उक्त

भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। वादी ने दिनांक 04.06.15 को तहसीलदार महोदय गोहद के समक्ष नामांतरण पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 है। वादी के हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण कराकर उसे यथाशीघ्र विक्रय करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न न करे।

3. प्रतिवादी क्र० 1 एवं 2 द्वारा वादपत्र का खंडन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। मृतक बबुआ प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के पिता थे। मृतक बबुआ वादी के नाना नहीं है। मृतक बबुआ के वारिसान मात्र प्रतिवादी क्र० 1 एवं 2 हैं। वादी प्रतिवादी क्र० 1 व 2 की मृत बहन मीरा का पुत्र नहीं है बल्कि वादी अपने पिता की दूसरी पत्नि अनीता का पुत्र है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं है। वादी मीरा का पुत्र नहीं है बल्कि अनीता का पुत्र है मीरा के मरने के बाद वादी के पिता ने अनीता के साथ शादी कर ली थी। अनीता देवी प्रतिवादीगण की सगी बहन नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर बबुआ के जीवनकाल से ही प्रतिवादीगण की खेती होती चली आ रही है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रतिवादी क्र. 3 के तामील उपरांत अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी क्र० 3 के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी मौजा लहचूरा परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1181 रकवा 0.47, सर्वे क्र० 1184 रकवा 0.54 कुल रकवा 1.01 के 1/3 भाग का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है?
3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है?
4. क्या प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है?
5. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

6. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी किशोर सिंह वा०सा०1 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1181 रकवा 0.47, सर्वे क्र० 1184 रकवा 0.54 कुल रकवा 1.01 के 1/3 भाग का वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है उक्त वादग्रस्त भूमि उसे अपने नाना बबुआ के मरने के उपरांत वारिस की हैसियत से प्राप्त हुई थी। उसके नाना की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी है। उसके नाना बबुआ के वारिस प्रतिवादी भारतसिंह, रायसिंह एवं वह है। वादग्रस्त भूमि में उसका हिस्सा 1/3 है। उसकी मां मीरा की मृत्यु दिनांक 10.07.90 को हो चुकी है उस समय उसकी उम्र डेढ़ वर्ष की थी उसका जन्म दिनांक 08.02.89 को हुआ था। प्रतिवादीगण उसके मामा हैं उसकी मां के मरने के बाद प्रतिवादीगण उक्त संपूर्ण वादग्रस्त भूमि को अपने नाम कराना चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उस पर यह आक्षेप लगाया गया है कि वह मृतिका मीरा का पुत्र नहीं है जबकि उसकी मां मीरा की मृत्यु होने के बाद उसके पिता भगवतीचरण ने दिनांक

27.05.93 को अनीता से विवाह कर लिया था। अनीता उसकी सगी मां नहीं है किन्तु जब उसके पिता ने उसे विद्यालय में भर्ती कराया था तो उसकी मां मीरा के स्थान पर उसकी दूसरी मां अनीता का नाम लिखा दिया था। प्रतिवादीगण उसके हिस्से की भूमि उसे नहीं देना चाहते एवं उसके नाना बबुआ के स्थान पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण कराना चाहते हैं। उक्त नामांतरण की जानकारी मिलने पर दिनांक 04.06.15 को उसके द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी किन्तु प्रतिवादीगण उसके हिस्से की भूमि को शीघ्रता से अपने नाम कराकर विक्रय करना चाहते हैं। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2014-15 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी03, किश्त बंदी खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी04 मीराबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी05 एवं स्वयं का जन्म प्रमाणपत्र प्र0पी06 तथा अनीता एवं भगवतीचरण की शादी का कार्ड प्र0पी07 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने अपनी कक्षा 8 की अंकसूची में अपनी मां का नाम अनीता बाई लिखाया था एवं व्यक्त किया है कि उसकी मां पहले खत्म हो गई थी उसके पिता ने अनीता से दूसरी शादी की थी और उन्हें उसकी मां का दर्जा दिया था। पद क्र05 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दसवीं कक्षा की अंकसूची में भी उसकी मां का नाम अनीता लिखा है।

8. वादी साक्षी गंगाराम वा0सा02 ने भी वादी किशोरसिंह वा0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है।

9. प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादी मृतिका मीरा का पुत्र होकर वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है जब कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादी किशोर सिंह उनकी मृत बहिन मीरा का पुत्र नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी किशोर सिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादी क्र0 1 एवं 2 उसके मामा हैं। मृतक बबुआ उसके नाना थे। वादग्रस्त भूमि मृतक बबुआ के स्वत्व की भूमि थी एवं उसकी मां मृतिका मीरा मृतक बबुआ की पुत्री थी एवं प्रतिवादी क्र0 1 एवं 2 की सगी बहिन थी वह मृतिका मीरा का एक मात्र पुत्र है। उसके नाना बबुआ की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी है एवं चूंकि वह मृतक बबुआ की मृत पुत्री मीरा का पुत्र है इस कारण वह मृतक बबुआ के स्वत्व की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्र0 1 एवं 2 के साथ 1/3 भाग का स्वत्वधारी है। प्रतिवादीगण द्वारा यद्यपि वादी के अभिवचनों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावे में वादी के अभिवचनों का खंडन किया गया है कि वादी उनकी मृत बहिन मीरा का पुत्र नहीं है बल्कि उनकी बहन मीरा की मृत्यु के पश्चात वादी के पिता भगवतीचरण ने अनीता नामक महिला से दूसरा विवाह कर लिया था एवं वादी अनीता का पुत्र है।

12. इस प्रकार प्रतिवादी क्र0 1 एवं 2 द्वारा अपने अभिवचन में यह स्वीकार किया गया है कि मीरा मृतक बबुआ की पुत्री थी एवं उनकी सगी बहन थी। जहां तक वादी के मीरा का पुत्र होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी किशोरसिंह वा0सा01 ने उक्त संबंध में अपना जन्म प्रमाण पत्र प्र0पी06 प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का जन्म दिनांक 08.02.89 अंकित है एवं वादी की मां का नाम मीराबाई एवं पिता का नाम भगवतीचरण अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्र0पी06 के जन्म प्रमाण पत्र का कोई खंडन नहीं किया गया है। वादी किशोर सिंह वा0सा01 द्वारा अपनी मां मीराबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी05 एवं उसके पिता भगवतीचरण एवं अनीता के विवाह का निमंत्रण पत्र प्र0पी07 भी प्रकरण में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्र0पी05 एवं प्र0पी07 का भी कोई खंडन नहीं किया गया है। प्र0पी05 के अवलोकन से यह दर्शित है कि मीराबाई की मृत्यु दिनांक 10.07.90 को हुई थी एवं प्र0पी0 7 के निमंत्रण पत्र से यह दर्शित है कि वादी के पिता भगवतीचरण एवं अनीता का विवाह दिनांक 27.05.93 को हुआ था।

13. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में यह अभिवचनित किया गया है कि वादी किशोरसिंह उनकी बहन मीरा का पुत्र न होकर अनीता का पुत्र है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है इसके विपरीत वादी द्वारा जो प्र०पी००६ का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादी की मां का नाम मीराबाई अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्र०पी००६ के दस्तावेज का कोई खंडन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गई है कि वादी किशोरसिंह की आंठवीं की अंकसूची में भी वादी की मां का नाम अनीता अंकित है जिसके संबंध में वादी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि उसकी सगी मां मीरा की मृत्यु हो चुकी थी एवं उसके पिता ने अनीता से दूसरा विवाह कर लिया था इस कारण उसके पिता ने उसकी अंकसूचियों में उसकी मां का नाम अनीता लिखा दिया था एवं यह अत्यंत स्वाभाविक भी है। वादी द्वारा जो प्र०पी० 5, 6 एवं 7 के दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं उनसे यही दर्शित होता है कि वादी का जन्म दिनांक 08.02.89 में हुआ था एवं मीरा की मृत्यु दिनांक 10.07.90 को हुई थी। अतः वादी अपनी मां की मृत्यु के समय लगभग 16 माह का था। वादी के पिता भगवतीचरण ने वर्ष 1993 में अनीता से दूसरा विवाह कर लिया था। अनीता वादी किशोरसिंह की सौतेली मां थी चूंकि अनीता भी वादी किशोरसिंह की मां थी इस कारण वादी की अंकसूची में वादी की मां का नाम अनीता लिखा होना स्वाभाविक है एवं मात्र अंकसूची में अनीता का नाम लिखा होने से यह नहीं माना जा सकता है कि वादी का जन्म अनीता के गर्भ से हुआ था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने वादी की अंकसूचियों के आधार पर वादी अनीता का पुत्र होना बताया है। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की अंकसूचियों को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराया गया है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा वादी की अंकसूचियों की फोटोप्रतियां प्रकरण में प्रस्तुत की गई थीं। यद्यपि उक्त फोटोप्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं परंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त फोटोप्रतियों पर तर्क के दौरान अत्यधिक बल दिया गया है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा वादी की जो दसवीं एवं बारवीं कक्षा की अंकसूचियों की फोटोप्रतियां प्रकरण में पेश की गई हैं उनमें भी वादी की जन्मतिथि दिनांक 08.02.89 अंकित है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा जिन दस्तावेजों पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्त की गई है उनमें भी वादी की जन्मतिथि दिनांक 08.02.89 अंकित है वादी द्वारा जो प्र०पी००६ का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादी की जन्मतिथि दिनांक 08.02.89 अंकित है।

14. इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि वादी का जन्म दिनांक 08.02.89 को हुआ था एवं प्र०पी००७ के शादी के कार्ड के अनुसार वादी के पिता भगवतीचरण ने अनीता से दूसरा विवाह दिनांक 27.05.93 को किया था। प्रतिवादीगण द्वारा प्र०पी००७ के दस्तावेज का कोई खंडन नहीं किया गया है इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि अनीता से विवाह के पूर्व ही वादी किशोरसिंह का जन्म हो चुका था। प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादी किशोर सिंह भगवतीचरण का पुत्र है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से संभावनों की प्रबलता यही इंगित करती है कि वादी किशोरसिंह अनीता का पुत्र न होकर प्रतिवादीगण की बहन मृतिका मीरा का पुत्र है।

15. प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतिका मीरा मृतक बबुआ की पुत्री होकर उनकी सगी बहन थी। वादग्रस्त भूमि मृतक बबुआ के स्वत्व की भूमि थी वादी द्वारा उक्त संबंध में वादग्रस्त भूमि के वर्ष 2014-15 के खसरे एवं खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०पी००३ एवं प्र०पी००४ भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र०पी००३ एवं प्र०पी००४ के खसरे एवं खतौनी में भी वादग्रस्त भूमि बबुआ के स्वत्व की भूमि होना दर्शित है। बबुआ वादी के नाना थे एवं बबुआ की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी क्र० 1 एवं 2 मृतक बबुआ के पुत्र है एवं वादी मृतक बबुआ की मृतक पुत्री मीरा का पुत्र है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निवसीयत हिन्दू पुरुष की मृत्यु उपरांत उसकी संपत्ति प्रथमतः अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट संबंधियों को न्यागत होगी एवं अनुसूची के वर्ग-1 में मृत हिन्दू पुरुष के पुत्र पुत्री एवं पूर्व मृत पुत्री के पुत्र को भी शामिल किया गया है। वादी किशोर सिंह मृतक बबुआ की मृत पुत्री मीरा का पुत्र है एवं वह मृतक बबुआ का वर्ग-1 का वारिस है ऐसी स्थिति में वादी किशोर सिंह मृतक बबुआ की वादग्रस्त संपत्ति में 1/3 भाग का स्वत्वधारी है।

16. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादी किशोरसिंह मृतक बबुआ की मृत पुत्री मीरा का पुत्र होकर वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1181 रकवा 0.47, सर्वे क्र० 1184 रकवा 0.54 के 1/3 भाग का वादी स्वत्वधारी है।

17. जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी किशोर सिंह वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 6 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन पर उसकी खेती नहीं हो रही है वादग्रस्त जमीन में उसकी मां का हिस्सा है। वादी साक्षी गंगाराम वा0सा02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर किशोर का कब्जा नहीं है। इस प्रकार वादी किशोरसिंह वा0सा01 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसकी खेती नहीं हो रही है एवं वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य नहीं है। अतः उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं है।

18. फलतः समग्र अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है। उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वह मृत्तिका मीरा का पुत्र होकर मौजा लहचूरा परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्र0 1181 रकवा 0.47, सर्वे क्र0 1184 रकवा 0.54 कुल रकवा 1.01 के 1/3 भाग का स्वत्वधारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न आंशिक रूप से वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

19. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्नक्र01 के निष्कर्ष पर आधारित है। वाद प्रश्नक्र01 के निष्कर्ष अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है वादी किशोर सिंह वा0सा01 द्वारा स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसकी खेती नहीं हो रही बल्कि प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-4

20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं है एवं वादी द्वारा वादपत्र में कब्जा वापिसी की सहायता नहीं चाही गई है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य होना अभिवचनित किया है। वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग पर वादी का स्वत्व प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी क्र0 1 एवं 2 वादग्रस्त भूमि के सह स्वामी हैं एवं सह स्वामियों की दशा में एक का आधिपत्य सभी का आधिपत्य माना जाता है। ऐसी स्थिति में वादी को प्रथक से कब्जा वापिसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं है एवं मात्र कब्जा वापिसी की सहायता न चाहे जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

22. समग्र अवलोकन से वादी आंशिक रूप से अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:-

1. यह घोषित किया जाता है कि वादी मौजा लहचूरा परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्र0 1181 रकवा 0.47 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र0 1184 रकवा 0.54 हैक्टेयर कुल रकवा 1.01 हैक्टेयर के 1/3 भाग का स्वत्वधारी है।

2. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –19/05/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)